विज्ञप्ति

अभिहीत अधिकारी/उपजिलाधिकारी जोशीमठ के पत्र संख्या/495/टी0ए0/मृत्यु0प0–2020–2021 दिनांक 8 अप्रैल 2021 द्वारा उत्तराखण्ड के जनपद–चमोली में दिनांक 7 फरवरी 2021 को आयी भीषण दैवीय आपदा के दौरान लापता व्यक्ति संतोष यादव पुत्र हरिवंश यादव, निवासी ग्राम–पिपरादेवराज, विकास खण्ड–भटनी, तहसील–सलेमपुर, जनपद–देवरिया के जीवित न होने की सम्भावना को देखते हुए लापता व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में मूल राज्य के अभिहीत अधिकारी/उपजिलाधिकारी को प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर दावें एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने, समाचार–पत्र सरकारी गजट एवं सरकारी बेवसाइड पर स्थानीय भाषा और अग्रेजी में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतएव लापता संतोष यादव पुत्र हरिवंश यादव, निवासी ग्राम–पिपरादेवराज, विकास खण्ड–भटनी, तहसील–सलेमपुर, जनपद–देवरिया के मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करनें के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दावे/आपत्ति अभिहीत अधिकारी/उप जिलाधिकारी कार्यालय सलेमपुर के आपदा अनुभाग में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा के भीतर दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं होती है, तो मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संस्तुति/आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

उपजिलाधिकारी
सलेमपुर

कार्यालय उपजिलाधिकारी, सलेमपुर–देवरिया।

पत्रांक 6833(6) /र0 का0–आपदा–2021 दिनांक 12 अप्रैल 2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, चमोली उत्तराखण्ड।
2– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
3– उपजिलाधिकारी, जोशीमठ।
4– अपर जिलाधिकार (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी आपदा, देवरिया।
5– जिला सूचना अधिकारी देवरिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दो प्रचलित समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध करायें।
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी देवरिया को इस आशय से प्रषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी बेवसाइड पर स्थानीय भाषा व अग्रेजी में अपलोड कराकर अवगत करावें।

12.4.21

उपजिलाधिकारी
सलेमपुर